



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक : 1034 -निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/ वित्तीय स्तरोनयन(ए०सी०पी०) दिनांक : 16/03/2022

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 1199/1(2)/2017-05-34/2016, दिनांक 25.09.2017 एवं शासनादेश सं० 1585/1(2)/2017-05-34/2016, दिनांक 22.12.2017 के अनुक्रम में निगमादेश संख्या 13536-नि०(मा०सं०)/उपाकालि/7वां वे०आ० दिनांक 28.11.2017 के द्वारा सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप उपाकालि में अनुमन्य सातवें वेतनमान को शासनादेश संख्या-12/1(2)/2021-06(2)-02/2015 टीसी-1 दिनांक 06.01.2022 के द्वारा अतिक्रमित किये जाने एवं दिनांक 01.01.2016 से उपाकालि के आदेश सं०-14757-नि०(मा०सं०)/उपाकालि/7वां वे०आ० दिनांक 29.12.2017 के अनुसार पुनः सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप वित्त विभाग (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-290/XXVII (7) 50(16)/2016, दिनांक 28.12.2016, शासनादेश संख्या 291/ XXVII(7) 30(8)/2016, दिनांक 29.12.2016 तथा शासनादेश सं० 165/ XXVII(7) 30(7)/2016, दिनांक 12.09.2017 के अनुक्रम में दिनांक 01.01.2016 को निगम की पूर्णकालिक सेवा में कार्यरत नियमित कार्मिकों(प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नियमित कार्मिकों सहित) के वेतन निर्धारण तथा प्रक्रिया विषयक कार्यवाही संलग्न शासनादेश संख्या-12/1(2)/2021-06(2)-02/2015 टीसी-1 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार संपादित की जायेगी।

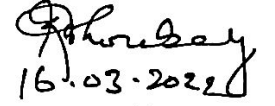
2. शासनादेश संख्या 1585/1(2)/2017-05-34/2016, दिनांक 22.12.2017 के अनुपालन में किये गये वेतन निर्धारण से लाभ प्राप्त कर चुके कार्मिकों से शासनादेश सं० 12/1(2)/2021-06(2)-02/2015 टीसी-1 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार दिनांक 06.01.2022 तक कोई प्रत्याप्ति (रिकवरी) नहीं की जायेगी।
3. उपाकालि के आदेश सं० 6303-नि०(मा०सं०)/उपाकालि/समयबद्ध वेतनमान दिनांक 15.07.2013 एवं 13525-नि०(मा०सं०)/उपाकालि/ए०सी०पी० दिनांक 26.11.2016 एवं आदेश सं० 13536-नि०(मा०सं०)/उपाकालि/7वां वे०आ० दिनांक 28.11.2017 के द्वारा दिनांक 31.12.2016 तक अनुमन्य ए०सी०पी० की पूर्व व्यवस्था दिनांक 01.01.2017 से सातवें वेतनमान में भी यथावत लागू रहेगी। दिनांक 06.01.2022 के बाद नियुक्त होने वाले कार्मिकों पर यह व्यवस्था स्वतः लागू नहीं होगी।
4. उपाकालि के आदेश सं०-8283-निदे०(मा०सं०)/उपाकालि दिनांक 12.08.2016 द्वारा अनुमन्य करायी गयी पदोन्नति का लाभ अगली वेतन वृद्धि की तिथि से लिये जाने संबंधी विकल्प की सुविधा सातवें वेतन आयोग में भी यथावत लागू रहेगी।
5. उपाकालि के आदेश सं०-2151-निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/VI वेतन आयोग दिनांक 11.04.2011 द्वारा पदोन्नति पर वेतनवृद्धि संबंधी आदेश अग्रेतर यथावत लागू रहेगे।
6. उक्त आदेश के अनुसार अधिकारियों के वेतन निर्धारण एवं वेतन प्राधिकार जारी करने का कार्य केन्द्रीय वेतन एवं पेंशन भुगतान कार्यालय, देहरादून द्वारा किया जाएगा। कार्मिकों का वेतन निर्धारण सम्बन्धित इकाइयों द्वारा पूर्व की भाँति किया जायेगा एवं वेतन निर्धारण की जांच केन्द्रीय वेतन एवं पेंशन भुगतान कार्यालय, देहरादून द्वारा की जाएगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 1034 -निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ वित्तीय स्तरान्नयन(ए0सी0पी0)/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0ग0सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव, निदेशक (वित्त/परिचालन/परियोजना/मा0सं0), विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, उपाकालि, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता(वितरण), देहरादून/हरिद्वार/हल्द्वानी/रूद्रपुर।
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त)/अधीक्षक अभियन्ता, उपाकालि.....।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि।
7. अधिशासी अभियन्ता(सू0प्रौ0), वि0क्रा0वि0 गबर सिंह भवन, ऊर्जा भवन देहरादून को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


16.03.2022

(के0बी0 चौबे)

महाप्रबन्धक(मा0सं0)